40

(5)

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

क्रमांकः– प. 13(1) लघु प्रकृति/विविध/गृह–10/2017 पार्ट जयपुर, दिनांक 3-4-17

समस्त सहायक निदेशक अभियोजन,
राजस्थान।

विषयः–दिनांक 08.04.2017 को आयोजित होने वाली द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (राज. उच्च न्यायालय परिसर जयपुर पीठ) जयपुर के पत्र क्रमांक प. 4 (139) रालसा/डी.एस.ए.डी.आर/एन एल ए /2017/28950–28967 दिनांक 06.03.2017 की फोटो प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि दिनांक 08.04.2017 को आयोजित होने वाली द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर राजपत्रित अवकाश में नियमित कार्यालय दिवस की भांति संबंधित न्यायालयों में सक्षम अधिकारियों/कार्मिको की उपस्थिति सुनिश्चित किया जाकर नियमानुसार वांछित प्रकरणों का निस्तारण हेतु कार्यवाही किये जाने का कष्ट करें तथा आप द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत करावे।
संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
3-4-17
(ओम प्रकाश बैरवा)
अनुभागाधिकारी

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. उप निदेशक अभियोजन, (मुख्यालय) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
   संलग्नः– उपरोक्तानुसार
   (पत्र की फोटो प्रति)।

अनुभागाधिकारी

गृह (ग्रुप-13) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर
प्राप्ति 1469
दिनांक 8/3

6

DCL
A.K.
7/3/17

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 222755, 2227602 FAX, 2385877)

(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: dsapadr@gmail.com, rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com, website: www.rlsa.gov.in)

क्रमांक F4(139) / रालसा / डीएसएडीआर / एनएलए / 2017 / 2859-2931 दिनांक 06.03.2017

द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत

प्रेषिति–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार।
3. प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
7. विशिष्ट शासन सचिव, (गृह) एवं निदेशक, अभियोजन, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. विशिष्ट शासन सचिव, विधि (प्रारूपण), एवं नोडल ऑफीसर, राष्ट्रीय लोक अदालत, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. प्रमुख शासन सचिव, जल एवं अभियान्त्रिकी विभाग, जल भवन, जयपुर।
12. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,जयपुर।
13. अध्यक्ष, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर।
14. निदेशक, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
15. अध्यक्ष डिस्कॉम, जयपुर।
16. जनरल मैनेजर, बी.एस.एन.एल।
17. क्षेत्रीय प्रबंधक, समस्त राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंक कम्पनी, राजस्थान।
18. क्षेत्रीय प्रबंधक, समस्त राष्ट्रीयकृत एवं निजी बीमा कम्पनी, राजस्थान।

विषय– दिनांक 08.04.2017 को आयोजित होने वाली द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत के बाबत्।

प्रसंग– राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का पत्रांक F.No.L/54/2016/NALSA, Dated 27.02.2017.

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रासंगिक पत्र द्वारा दिनांक 08.04.2017 को प्रदेश के सभी न्यायालयों (राजस्व न्यायालयों को छोड़कर) में लम्बित व प्री लिटिगेशन मामलों के लिए द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने के निर्देश दिये हैं।

प्रि–लिटिगेशन में धारा 138, परक्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, पानी व बिजली के बिल (अशमनीय के अलावा) एवं अन्य (दाण्डिक शमनीय, पारिवारिक एवं अन्य सिविल विवाद) और लम्बित प्रकरणों में शमनीय दाण्डिक अपराध, अंतर्गत धारा 138, परक्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी मामले, एम.ए.सी.टी. मामले, श्रम–विवाद, बिजली व पानी के बिल (अशमनीय के अलावा), वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, मजदूरी, भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले (केवल जिला एवं उच्च न्यायालय में लम्बित), अन्य सिविल मामले (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावे एवं विनिर्दिष्ट पालना दावे) आदि विषयों पर आयोजित की जावेगी।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 222755, 2227602 FAX, 2385877)
(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: dsapadr@gmail.com, rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com, website: www.rlsa.gov.in)

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशानुसार अनुरोध है कि आप अपने विभाग के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे लोक अदालत में निस्तारित होने योग्य सभी उपयुक्त प्रकरणों को चिन्हित करवाकर प्रकरणों की सूची संबंधित न्यायालय में, जहाँ विवाद लम्बित है, प्रस्तुत करें एवं न्यायालय से अनुरोध करें कि उपयुक्त प्रकरणों में पक्षकारों को नोटिस जारी कर इन्हें लोक अदालत को रेफर करें। सभी विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देशित करें कि वे एक सुनियोजित कार्य योजना बनाकर पूरी तैयारी के साथ लोक अदालत की कार्यवाही में भाग लें तथा अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करावें।

निर्देशानुसार यह भी अनुरोध है कि कृपया इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन एवं जारी किये गये आदेशों की प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि इन्हें माननीय न्यायाधिपति महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अग्रिम निर्देशार्थ रखा जा सके।

सादर,

भवदीय

Sd/-

(एस.के.जैन)

सदस्य सचिव

(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)

क्रमांक F4(139)/रालसा/डीएसएडीआर/एनएलए/2017/21965-22005 दिनांक: 06.03.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है:–

1. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
2. पूर्णकालिक सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर/जयपुर।
3. उप सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर।

06.03.17

(अनुतोष गुप्ता)

उप सचिव

(एक्शन प्लान एण्ड ए.डी.आर.)